भाग तीन: खण्ड आठ

वन्य जीव धन घोषणा नियम 2003

पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिसूचना क्र. का. आ. 445 **(अ) दिनांक** 18 **अप्रैल**, 2003 **भारत का राजपत्र (असाधारण भाग** 2 **खण्ड** 3(2) **दिनांक** 18-4-2003 **पृष्ठ** 1-4 **पर प्रकाशित।**

केन्द्रीय सरकार, वनप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 **का** 53), **की धारा** 63 **के साथ पठित धारा** 40 **क की उपधारा (**1) **और उपधारा (**3) **द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:**

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (**1) **इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन जीव धन घोषणा नियम** 2003 **है।**

(2) **ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।**

(2) **परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,**

(क) ''अधिनियम'' से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 **का** 53) **अभिप्रेत है;**

(ख) ''प्रारूप'' से इन नियमों के साथ संलग्न प्रारूप अभिप्रेत हैं;

(ग) अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं, वही अर्थ अभिप्रेत होगा जो अधिनियम में जो दिया है।

3. **अधिसूचना के आशय का प्रचार और आवेदन करने में सहायता - (**1) **मुख्य वन्यजीव वार्डन या इन निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, इस अधिसूचना के आशय का इलेक्ट्रानिक मीडिया या प्रिन्ट मीडिया या ऐसे ही अन्य माध्यम से प्रादेशिक भाषा में व्यापक प्रचार करवाएगा।**

(2) **मुख्य वन्यजीवन वार्डन या इन निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, स्थानीय समुदायों और व्यक्तियों को, विशेषकर निर्धन और अशिक्षितों को, किसी अन्य विषय के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा तथा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रयास करेगा कि पशुओं से सहयुक्त कोई व्यक्ति या समुदाय इस अवसर से वंचित न रह जाए।**

4. **आवेदन फाइल करने की प्रक्रिया - (**1) **मुख्य वन्यजीव वार्डन या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को किया गया आवेदन, आवेदक द्वारा, इन नियमों के साथ संलग्न प्रारूप में या तो व्यक्तिगत रूप में या किसी अभिकर्ता के द्वारा या सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यवसायी द्वारा किया जाएगा या मुख्य वन्यजीव वार्डन या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जो संबद्ध राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का है, को संबोधित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।**

(2) **उपनियम (**1) **के अधीन आवेदन इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर, चार पूर्ण सैटों में प्रस्तुत किया जाएगा।**

(3) **आवेदक, अपने आवेदन के साथ अभिस्वीकृत पर्ची, जैसी प्रारूप में दी गई है, संलग्न कर सकेगा और प्रस्तुत कर सकेगा जो मुख्य वन्यजीवन वार्डन या इन निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत, अधिकारी की ओर से आवेदन की प्राप्ति की अभिस्वीकृति से आवेदन प्राप्त करने वाले कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी।**

5. **आवेदनों का प्रस्तुतिकरण और उनकी जांच - (**1) **मुख्य वन्यजीव वार्डन या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, प्रत्येक आवेदन पर वह तारीख पृष्ठांकित करेगा जिसको यह प्रस्तुत किया गया है, या उस नियम के अधीन प्रस्तुत किया गया समझा गया है और पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा।**

(2) **यदि जांच करने पर आवेदन सही पाया जाता है तो यह सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और इसे क्रम संख्यांक दिया जाएगा।**

(3) **यदि जांच करने पर आवेदन त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो उसे आवेदक को पन्द्रह दिन के भीतर त्रुटियों को ठीक करने के लिए उसकी प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, ठीक किए गए हेतु, आवेदन को पुनः प्रस्तुत करने के लिए वापस कर दिया जाएगा।**

(4) यदि आवेदक उपनियम (3) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर, त्रुटि को ठीक करने में असफल रहता है, तो मुख्य वन्यजीव वार्डन या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, आदेश द्वारा और लेखबद्ध गिए गए कारणों से, आवेदन को रजिस्टर करने से इंकार कर सकेगा।

6. आवेदन फाइल करने का स्थान - आवेदक, मुख्य वन्यजीव वार्डन या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास आवेदन फाइल करेगा।

7. सुनवाई की तारीख और स्थान का अधिसूचित किया जाना - मुख्य वन्यजीव वार्डन या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, पक्षकारों को प्रत्येक आवेदन की सुनवाई की, यदि आवश्यक हो, तारीख, स्थान और समय अधिसूचित करेगा।

8. आवेदनों पर विनिश्चय - (1) मुख्य वन्यजीव वार्डन या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आवेदनों में उल्लिखित तथ्यों का सत्यापन करेगा और ऐसी जांच करेगा जो आवश्यक हो।

(2) मुख्य वन्यजीव वार्डन, जहां तक संभव हो, आवेदन को उसके प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास के भीतर विनिश्चित करेगा और आवेदक को लिखित रूप में अपने हस्ताक्षर सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उसकी संसूचना देगा।

9. आवेदन की एकपक्षीय सुनवाई - जहां आवेदन के लिए नियत तारीख पर आवेदक, बिना सूचित किए उपसंजात होने में असफल रहता है, वहां मुख्य वन्यजीव वार्डन या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आवेदन पर एकपक्षीय रूप में स्थगित या विनिश्चित स्वविवेक से कर सेगा।

10. मुख्य वन्यजीव वार्डन या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच - (1) मुख्य वन्यजीव वार्डन या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी विस्तृत जांच करेगा और अधिनियम की धारा 41 में यथाउपबंधित सभी कार्रवाही करेगा।

(2) इस नियम के उपनियम (1) से संबंधित रिपोर्ट की एक प्रति आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी।

11. स्वामित्व प्रमाण पत्र - (1) मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे आवेदक को स्वामित्व प्रमाण पत्र देगा जिसका दावा विधिमान्य पाया जाता है।

(2) स्वामित्व प्रमाण पत्र अधिनियम की धारा 42 के उपबंधों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

(3) स्वामित्व प्रमाण पत्र में पहचान चिन्ह की प्रतिकृति अंतर्विष्ट होगी और जीवित पशु के मामले में लगाए गए ट्रांसपोंडर (माइक्रोचिप) का पहचान संख्यांक प्रमाणपत्र में उल्लिखित किया जाएगा।

12. घोषित वस्तुओं के साथ व्यवहार - धारा 40क की उपधारा (1) के अधीन घोषित कोई बंदी पशु, पशु वस्तु, ट्राफी या असंशोधित ट्राफी, और उसकी बाबत जिसके संबंध में स्वामित्व प्रमाण पत्र अनुदत्त या अभिप्राप्त नहीं किया गया है, सरकारी संपत्ति समझा जाएगा।

13. आदेश पर हस्ताक्षर किया जाना और तारीख डालना - मुख्य वन्यजीव वार्डन का प्रत्येक आदेश लिखित रूप में होगा और मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा तथा उस पर तारीख डाली जाएगी।

14. पक्षकारों के आदेश संसूचना - आदेश पर पारित प्रत्येक आदेश आवेदक को या तो व्यक्तिगत रूप से या निःशुल्क रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा संसूचित किया जाएगा।

प्रारूप

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 **की धारा** 40-**क के अधीन स्वामित्व प्रमाण पत्र के लिए आवेदन**

सेवा में,

मुख्य वन्यजीव वार्डन अथवा प्राधिकृत अधिकारी

..... **राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश**

.....

(i) **मैं** ....

(**कुल नाम**) (**पहला नाम**) (**मध्य नाम**)

पुत्र/पुत्री ....

(**कुल नाम**) (**पहला नाम**) (**मध्य नाम**)

वर्तमान में मकान सं. .....तालुक ..... जिला..... राज्य (पिनकोड) ..... पर निवास कर रहा/रही हूँ और मेरा स्थायी आवास मकान सं. ..... तालुक ..... जिला..... राज्य.....(पिन कोड) ..... है, घोषणा करता हूं कि मैं, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 **की अनुसूची-**1 **या अनुसूची-**2 **में विनिर्दिष्ट बन्दी पशु और/अथवा बन्दी अवस्था में उत्पन्न इसकी सन्तत्ति, पशु से व्युत्पन्न पशुओं से बनी वस्तु/ट्राफी/असंशोधित, ट्राफी (जो लागू न हो उसे काट दें) पर नियंत्रण, अभिरक्षा अथवा कब्जा रखता हूं जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है:**

1. **पशु की प्रजाति का सामान्य नाम:**
2. **प्राणी वैज्ञानिक नाम (उप प्रजाति का, यदि कोई हो, उल्लेख करे)**
3. **वस्तु का वर्णन**
4. **वस्तु की दशा का उल्लेख करें (सामने, दाएं और बाएं पाशव चित्रों सहित चार रंगीन फोटोग्राफ ----- आकार की और एक पूरा फोटोग्राफ उपलब्ध कराएं):**
5. **वस्तुओं की संख्या:**
6. **प्राप्ति का ढंग: क्रय/दान/विरासत/कोई अन्य ढंग विनिर्दिष्ट करें**
7. **प्राप्ति की तारीखः**
8. **व्यक्ति/संस्था का नाम जिससे प्राप्त किया है:**
9. **उपरोक्त** (6) **में निर्दिष्ट व्यक्ति/संस्था का पता:**
10. **आकार (मीटर/सेंटीमीटर में)**
    (1) **लम्बाई:**
    (2) **चैड़ाई:**
    (3) **ऊँचाई:**
11. **भार (किलोग्राफ/ग्राम में):**
12. **कोई विशिष्ट चिन्ह, जो वस्तु की पहचान करने में मदद कर सकेः**
13. **जीवित पशुओं के मामले में आयु और लिंग का उल्लेख करें:**

(ii) **मैं घोषणा करता हूं कि उपरोक्त निर्दिष्ट बंदी पशु/वस्तु को निम्नलिखित पते पर रखा, भण्डारित या अनुरक्षित किया गया है :**

.....

.....

(iii) **मैं घोषणा करता हूं कि उपरोक्त निर्दिष्ट बंधी पशु/वस्तु, विधिमान्य से मेरे द्वारा अर्जित की गई है किन्तु वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम**, 1972 **की धारा** 40 **की उपधारा (**1) **या उपधारा (**4) **के अधीन मेरे द्वारा घोषणा नहीं की गई है।**

(iv) **मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैंने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम**, 1972 **की धारा** 40-**क धारा** 42 **और धारा** 43 **के उपबन्धों को पढ़ व समझ लिया है और उल्लेख करता हूं कि उपरोक्त को उत्तराधिकार के माध्यम के सिवाय किसी भी अन्य ढंग को अन्य किसी को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।**

(v) **मैं, प्रत्येक वस्तु पर पहचान चिन्ह लगाने के लिए और बंदी पशु के मामले में ट्रांसपोंडर के लिए अपनी सहमति देता हूं कि चिन्ह अथवा ट्रांसपोंटर को मिटाया, बदला अथवा नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और चिन्ह को किसी नुकसान, परिवर्तन अथवा बदलने की अव्यवस्था, में, मैं चैबीस घण्टे के भीतर सक्षम प्राधिकारियों को सूचित करूंगा।**

मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

.....

स्थान: **घोषणा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर**

तारीख:

अभिस्वीकृति पर्ची

श्री/श्रीमती ..... द्वारा फाइल आवेदन की अभिस्वीकृति, जो इस समय ..... (पूर्ण पता और टेलीफोन नम्बर) पर रह रहे हैं, ... कार्यालय में की जाती है।

कार्यालय मोहर **.....**

हस्ताक्षर

2. **विनिर्दिष्ट पादपों, उनके भाग या व्युत्पन्नी के खेतिहर या व्यौहारी द्वारा स्टाक की घोषणा: विनिर्दिष्ट पादपों का प्रत्येक खेतिहर और विनिर्दिष्ट पादप, उसके बाग या व्युत्पन्नी का व्यौहारी, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम**, 1972 **के अध्याय** 3-**क के उपबंधों के प्रारम्भ की तारीख से** 30 **दिन के भीतर, यथास्थिति, विनिर्दिष्ट पादप, उसके भाग या व्युत्पन्नी के ऐसी घोषणा की तारीख को अपने स्टाक की घोषणा मुख्य वन्य जीवन संरक्षण को नीचे दिए गए प्रारूप में करेगा।**

घोषणा का प्रारूप

(17 **ङ और धारा** 44 **की उपधारा** 2 **देखिए)**

सेवा में,

मुख्य वन जीव संरक्षक,

..... **राज्य या संघ राज्य क्षेत्र,**

1. **विनिर्दिष्ट पादपों, उनके भाग और व्युत्पन्नी के खेतिहार या व्यौहारी का पूरा नाम और स्टाक की घोषणा ..... (नाम तथा पता) .....**

2. **घोषणा की तारीख को धारित वास्तविक स्टाक: .....**

स्टाक का विवरण

विनिर्दिष्ट पादपों का नाम (वैज्ञानिक नाम सहित) सम्मिलित कर)	ज्ञात उपयोग	स्टाक का वर्णन	स्टाक में पारित परिमाण कि.ग्रा./संख्या	वह परिसर जहां स्टाक रखा है	उपाप्त करने की तारीख	उपाप्त करने का स्त्रोत और विशेष क्षेत्र	दस्तावेजी सबूत यदि कोई हो	टिप्पणीयां (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

मैं यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान .....

तारीख ..... **घोषणा करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर**